भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2567
दिनांक 14-03-2006 / 23 फाल्गुन, 1927 (शक) को उत्तर के लिए

पत्राचार हेतु हिंदी भाषा का प्रयोग

2567.डा0 लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्थापित विभिन्न कंपनियों (राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय) के बीच सारे पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा विभाग और कंपनियों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राजभाषा विभाग ने इस संबंध में देश के प्रमुख औद्योगिक निकायों से सुझाव आमंत्रित किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ड़) औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त सुझावों और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) तथा (ङ) संसद की राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के सातवें खण्ड में सिफारिश की है कि ''बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करे ।'' इस पर राष्ट्रपति जी के ये आदेश पारित हुए हैं कि राजभाषा विभाग इस विषय में संबंधित पक्षों से चर्चा करे ।

राजभाषा विभाग ने इस संबंध में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, कानफैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कामर्स तथा पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज से उनकी टिप्पणी आमंत्रित की है । उनसे अभी तक कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है । उद्योग मंडलों ने कोई सुझाव नहीं दिया है ।

******